अति महत्वपूर्ण

सं.ई-25013/2/2016-हिन्दी/155

भारत सरकार

केन्द्रीय जल आयोग

906(द.) सेवा भवन,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066.
दिनांकः 05 अप्रैल, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरकारी कामकाज मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए टिप्पण/आलेखन नकद पुरस्कार योजना वर्ष 2018-2019 का परिचालन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संघ की राजभाषा नीति एवं सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोग, (मुख्यालय) में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों (समूह-घ को छोड़कर) के लिए राजभाषा विभाग की टिप्पण- आलेखन योजना वर्ष 2018-19 के लिए भी लागू है। **इस योजना की अवधि 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक होगी।** उपर्युक्त योजना का विवरण इस प्रकार हैः-

1. पात्रता : वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जो वर्ष के दौरान 20,000 शब्द मूल रूप से हिन्दी में लिखते हैं, इस योजना में भाग ले सकते हैं ।

2. पुरस्कार :

प्रथम पुरस्कार	:	(2)	5000/-रूपए
द्वितीय पुरस्कार	:	(3)	3000/-रूपए
तृतीय पुरस्कार	:	(5)	2000/-रूपए

3. विशेष : हिन्दीतर भाषी प्रतियोगियों को अर्थात जिनकी मातृभाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगला, उड़िया और असमी है, उन्हें 20 प्रतिशत अंकों का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा ।

4. अवधि : वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक

जो अधिकारी और कर्मचारी वर्ष 2018-2019 की टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक हैं, वे अपने द्वारा हिंदी में किए गए काम का ब्यौरा, अपने नियंत्रक अधिकारी से सत्यापित करवाकर अपने पास रखें तथा आगामी वित्तीय वर्ष (2018-19) की समाप्ति के पश्चात् वर्ष भर में हिंदी में किए गए कार्य का विवरण **30 अप्रैल, 2019** तक संलग्न प्रपत्र में भरकर हिंदी अनुभाग को भिजवा दें।

नोट: सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्य का ब्यौरा देते समय प्रत्येक फाइल का नम्बर और उसमें लिखे गए शब्दों की अनुमानित संख्या का उल्लेख अवश्य करें। पुरस्कार निर्धारण हेतु उनके कार्यों की जांच उच्च अधिकारियों की एक समिति द्वारा की जाएगी।

5/4/18

(रजिन्दर पाल)
सहायक निदेशक (रा.भा.)
बीपीएल: 3720

सेवा में,

1. सभी समन्वय/निदेशालय/अनुभाग, के.ज.आ.(मुख्यालय), नई दिल्ली।

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ:</u>

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव ।
2. सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान, जल आयोजना एवं परियोजना तथा नदी प्रबंध), के.ज.आ.।
3. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव ।
4. मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव ।
5. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग।

प्रपत्र

सरकारी कामकाज में हिन्दी किए गए कार्य का ब्यौरा (दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक)

क्र.सं.	दिनांक	कुल फाइलों/रजिस्टरों आदि की संख्या जिसमें हिन्दी में काम किया है।	हिन्दी में लिखे गए टिप्पण/आलेखन की संख्या	शब्दों की संख्या	उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर (सप्ताह में एक बार)

हस्ताक्षर :

अति महत्वपूर्ण

सं.ई-25013/2/2016-हिन्दी/156

भारत सरकार

केन्द्रीय जल आयोग

906(द.) सेवा भवन,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066.
दिनांकः 05 अप्रैल, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरकारी कामकाज मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए टिप्पण/आलेखन नकद पुरस्कार योजना वर्ष 2017-2018 के दौरान हिन्दी में किए गए कार्य का विवरण मंगवाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संघ की राजभाषा नीति एवं सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोग, (मुख्यालय) में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों (समूह-घ को छोड़कर) के लिए राजभाषा विभाग की टिप्पण- आलेखन योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान सर्वाधिक सरकारी कार्य हिन्दी में करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उपर्युक्त योजना का विवरण इस प्रकार हैः-

1. पात्रता : वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जो वर्ष 2017-18 के दौरान 20,000 शब्द मूल रूप से हिन्दी में लिखते हैं, इस योजना में भाग ले सकते हैं ।

2. पुरस्कार :

प्रथम पुरस्कार	: (2)	5000/-रूपए
द्वितीय पुरस्कार	: (3)	3000/-रूपए
तृतीय पुरस्कार	: (5)	2000/-रूपए

3. विशेष : हिन्दीतर भाषी प्रतियोगियों को यथा जिनकी मातृभाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगला, उड़िया और असमी है, उन्हें 20 प्रतिशत अंकों का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा ।

4. अवधि : वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक

अतैव, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने वर्ष 2017-2018 की टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता में भाग लिया है, वे अपने द्वारा हिंदी में किए गए काम का ब्यौरा, अपने नियंत्रक अधिकारी से सत्यापित करवाकर संलग्न प्रपत्र में भरकर 15 मई, 2018 तक हिन्दी अनुभाग को अवश्य भेज दें। 15 मई के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

नोट: सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्य का ब्यौरा देते समय प्रत्येक फाइल का नम्बर और उसमें लिखे गए शब्दों की अनुमानित संख्या का उल्लेख अवश्य करें। पुरस्कार निर्धारण हेतु उनके कार्यों की जांच उच्च अधिकारियों की एक समिति द्वारा की जाएगी।

5/4/18

(रजिन्दर पाल)
सहायक निदेशक (रा.भा.)
बीपीएलः 3720

सेवा में,

1. सभी समन्वय/निदेशालय/अनुभाग, के.ज.आ.(मुख्यालय), नई दिल्ली।

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ:</u>

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव ।
2. सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान, जल आयोजना एवं परियोजना तथा नदी प्रबंध), के.ज.आ.।
3. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव ।
4. मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव ।
5. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग।

प्रपत्र

सरकारी कामकाज में हिन्दी किए गए कार्य का ब्यौरा (दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018तक)

क्र.सं.	दिनांक	कुल फाइलों/रजिस्टरों आदि की संख्या जिसमें हिन्दी में काम किया है।	हिन्दी में लिखे गए टिप्पण/आलेखन की संख्या	शब्दों की संख्या	उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर (सप्ताह में एक बार)

हस्ताक्षर :

अति महत्वपूर्ण

सं.ई-25013/2/2016-हिन्दी/157

भारत सरकार

केन्द्रीय जल आयोग

.....

906(द.), सेवा भवन,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांकः 05 अप्रैल, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अधिकारियों द्वारा राजभाषा हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2017-18 ।

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/2015/62/88-राजभाषा (क-2) दिनांक 27 सितम्बर, 1988 के अनुसरण में संघ की राजभाषा हिन्दी का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोग के उन अधिकारियों को पुरस्कार दिए जाते हैं जो साल में सबसे अधिक डिक्टेशन हिन्दी में देते हैं । इस योजना के अंतर्गत 2 पुरस्कार, अर्थात हिंदीभाषी एवं हिंदीत्तर भाषी अधिकारी के लिए रखे गए हैं । इस योजना के अंतर्गत ऐसे सभी अधिकारी, जिन्हें आशुलिपिक की सहायता उपलब्ध है जो सामान्यतया डिक्टेशन देते हैं, शामिल हो सकते हैं ।

2. योजना की अवधि वित्तीय वर्ष रखी गई है । योजना में भाग लेने वाले अधिकारी उनके द्वारा हिन्दी में दिए गए डिक्टेशन के बारे में निर्धारित संलग्न प्रोफार्मा (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार अपना रिकार्ड रखेंगे जिसमें डिक्टेशन देने वाले अधिकारी का नाम, डिक्टेशन की तिथि और डिक्टेशन लेने वाले कर्मचारी का नाम अंकित होगा तथा दी गई डिक्टेशन की प्रतियां संबंधित फाइल क्रमांक के साथ रखी जाएंगी । यह रिकार्ड उनके स्टेनों, निजी सचिव भी रख सकते हैं । उनके सत्यापन का पूरा उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा ।

3. इस योजना के अंतर्गत 2 पुरस्कार, अर्थात एक हिंदीभाषी एवं एक हिंदीत्तर भाषी अधिकारी के लिए पांच-पांच हजार रूपए के अलग-अलग पुरस्कारों का प्रावधान है। अतः वे अधिकारी जो वर्ष 2017-18 के दौरान उक्त योजना में भाग लेने के इच्छुक हैं, अपने कार्य का विवरण 15 मई, 2018 तक हिन्दी अनुभाग को भेज दें ।

5/4/18

(रजिन्दर पाल)
सहायक निदेशक (रा.भा.)
बीपीएल-3720

सेवा में,

1. सभी मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
2. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
3. सभी निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
4. सभी अवर सचिव/शाखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, के.ज.आयोग ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव ।
2. सभी सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग के निजी सचिव ।
3. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय जल आयोग।
4. मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), केन्द्रीय जल आयोग ।

हिन्दी में अधिक से अधिक डिक्टेशन संबंधी पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए कार्य संबंधी रिकार्ड का प्रोफार्मा

1. अधिकारी का नाम :

2. आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक का नाम:

क्र.सं.	दिनांक	डिक्टेशन लिए गए शब्दों की संख्या	फाइल संख्या	टिप्पणी

....

हस्ताक्षर